प्रपत्र

अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष ..... दिसम्बर, ... की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा नाम) तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो .....
2. वर्तमान धारित पद ....., शासकीय महाविद्यालय का नाम.....
3. वर्तमान वेतन ..... अगली वेतन वृद्धि का तारीख .....

क.	उस जिले उप संभाग, तह. तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतालाईये कि वह किसके नाम पर आधारित और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन का तारीख और जिससे अर्जित की गई उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

जहां लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले मे जहां सही सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ मे लगभग मूल्य बतलाया जाए इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :– छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1965 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह पहली नियुक्ति के समय और बाद में प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

शासकीय सेवक के हस्ताक्षर

शासकीय सेवक का अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण 20....(31 दिसम्बर 20...की स्थिति में)

शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का नाम.....

पदनाम :.....

वर्तमान वेतन :.....

कार्यालय/महाविद्यालय का नाम :.....

आगामी वेतनवृद्धि की तिथि :.....

उस संभाग, जिले,तालुका का नाम जहाँ संपत्ति स्थित है	अचल संपत्ति का नाम तथा ब्योरा		वर्तमान मूल्य	यदि वह स्वयं के नाम पर न हो तो किसके नाम पर है तथा शासकीय सेवक से उसका क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया, खरीद कर, पट्टा, बंधक, विरासत, किसी अन्य प्रकार से तथा अर्जित की तारीख जिससे अर्जित की गई उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से आय	रिमार्क
	भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

जहाँ लागू न हो काट दीजिए :– 1. ऐसे मामले में जहाँ सही–सही निर्धारण करना संभव नहीं हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में समान मूल्य बतलाया जाये उसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी :– छत्तीसगढ़ सेवा आचरण नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से अपेक्षित है कि वह सेवा से पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा भरकर प्रस्तुत करें। उसके स्वामित्व को तथा उसके बाद अर्जित अथवा उसे विरासत में मिला या उसके नाम पर या उसके अपने नाम पर, उसके परिवार के सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्योरे दें।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर

शासकीय सेवक का नाम .....

(जानकारी 31 दिसम्बर की स्थिति में दी जानी चाहिये)